न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 48 / 2018

RCMS No. 2018/00331

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगणः—
1 भंवरलाल पुत्र मिश्रीलाल जाति प्रजापत निवासी बुटेलाव		1. सेणकी पत्नी मिश्रीलाल 2. केवलराम पुत्र मिश्रीलाल जातिगण प्रजापत निवासीगण बुटेलाव 3. सरपंच, ग्राम पंचायत मेव

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री विजेश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री महेन्द्र चौधरी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2
अप्रार्थी संख्या 3 अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 09/09/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, मेव द्वारा मिसल संख्या 45 / 2017–18 में पारित आज्ञा संख्या .... दिनांक 27.06.2017 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 01.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया गया है। जिस भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, वह प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि को सम्मिलित करते हुए जारी किया गया है, जो प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की गई है। उक्त आराजी पर वर्षो से प्रार्थी काबिज है। अप्रार्थी का भूमि पर कोई कब्जा नहीं होने के बावजूद भी पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थी संख्या 1 को जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया। बिना आवेदन के ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गई है। मिसल में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, वह विधि में प्रदत्त प्रक्रिया अनुसार न तो जारी हुआ एवं न ही चस्पा हुआ। सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध रूप से सम्पादित की गई। ग्राम पंचायत द्वारा छपे छपाए प्रपत्र में मिसल की कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। मिसल में जो शपथ

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पत्र संलग्न किया है, उस पर शपथ ग्रहिता के हस्ताक्षर ही नहीं है तथा जो हस्ताक्षर किए है, वह अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा किए गए है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मिसल की आदेशिकाओं पर हस्ताक्षर किए गए है, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 का प्रकरण से कोई सरोकार ही नहीं था। समस्त कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 की जानकारी के बिना, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा सम्पादित की गई है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थी संख्या 1 को नाजायज लाभ प्रदान कराने हेतु जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त कब्जासुदा भूमि है। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा निष्पादित हो चुका है, जिसमें जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, जिससे वह एस्टोप्ड है। जहां तक प्रक्रिया का प्रश्न है, ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा मात्र दुर्भावनावश यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी आवेदन के मिसल कायम कर कार्यवाही की गई है। मिसल का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 20.05.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना बताते हुए तीन सदस्यों की कमेटी को मौका निरीक्षण करने के आदेश पारित किए उक्त आदेश की पालना में तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण कर दिनांक 05.06.2017 को अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा वांछित भूमि आबादी में होने के सम्बन्ध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होना बताते हुए आक्षेप आमन्त्रित करने हेतु नोटिस जारी करने के आदेश पारित किए। इस आदेशिका दिनांक 05.06.2017 में जिस पटवारी रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, पटवारी द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किया एवं जो प्रमाण पत्र मिसल के संलग्न है, उस पर पटवारी हल्का के हस्ताक्षर ही नहीं है। आदेशिका दिनांक 05.06.2017 की पालना में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, किस दिनांक को जारी किया गया तथा किस स्थान पर चस्पा किया गया, अंकित ही नहीं है। इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 20.06.2017 में प्रस्तुत होने पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होना बताते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए है। जबकि इस दिनांक को आपत्ति इश्तिहार जारी हुए 15 दिवस की अवधि ही व्यतीत हुई थी। विधि अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में न तो अनंतिम विनिश्चय

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

किया गया एवं न ही नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने से पूर्व ही जैर निगरानी पट्टा जारी करने बाबत आज्ञा पारित की गई है, जो विधि विरूद्ध है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नही किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान हे। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथित को 50 वर्षो के दौरान बने पुरने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोदन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

उपरोक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145, 147 व 148 का उल्लंघन किया गया है, जिसके कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, मेव द्वारा मिसल संख्या 45/2017–18 में पारित आज्ञा संख्या .... दिनांक 27.06.2017 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 01.

अति. जिला कलेक्टर, कोटपूतली

04.2017 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 09/09/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली